



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4005]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/अग्रहायण 22, 1941

No. 4005]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4456(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 910(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 7 (नया रारा - 30 एवं 34) के 465.600 कि.मी. से 546.600 कि.मी. (विद्यमान चेनेज 465.600 किमी से 546.420 किमी) डिज़ाइन चेनेज का जबलपुर-लखनादौन तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया रारा - 30 एवं 34) के 465.600 कि.मी. से 546.600 कि.मी डिज़ाइन चैनेज विद्यमान चेनेज 465.600 कि.मी. से 546.420 कि.मी.) तक जबलपुर - लखनादौन खण्ड के पेन्डशोल्टर सहित दो लेन के उपयोग हेतु 5.100 कि.मी. (जिनकी लंबाई संरचना 0.510 किमी) की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% की दर और सड़क खंड की निवल लंबाई 67.181 कि.मी. और लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए सारिणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों का 100% और चार लेन या उससे अधिक के उपयोग के लिए बाईपास जिनकी लंबाई 11.240 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में बोहरीपार गांव के निकट रारा - 7 (नया रारा - 30 एवं 34) के 481.345 किमी/डिज़ाइन चैनेज (विद्यमान 481.400 किमी) पर	67.1807 { }	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी - 3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में बोहरीपार गांव के निकट रारा - 7 (नया रारा - 30 एवं 34) के	बरगी बाईपास	डिज़ाइन 487.100 कि.मी. (विद्यमान 487.150 किमी)	डिज़ाइन 489.700 कि.मी. (विद्यमान 489.780 किमी)	2.60	30.23	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और अधिक लेन की आधार
	सुकारी बाईपास	डिज़ाइन 497.450 कि.मी. (विद्यमान 497.850 किमी)	डिज़ाइन 498.670 कि.मी. (विद्यमान 498.940 किमी)	1.22	10.60	

481.345 किमी/डिज़ाइन चेनेज (विद्यमान 481.400 किमी) पर	धूमा बाईपास	डिज़ाइन 520.520 कि.मी. (विद्यमान 520.710 किमी)	डिज़ाइन 524.290 कि.मी. (विद्यमान 524.120 किमी)	3.77	20.65	दरों का 150%
	लखनादौन बाईपास	डिज़ाइन 541.900 कि.मी. (विद्यमान 542.050 किमी)	डिज़ाइन 545.550 कि.मी. (विद्यमान 545.740 किमी)	3.65	35.64	
	कुल लंबाई				11.24 किमी	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोधय और संदेय होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में बोहरीपार गांव के निकट रारा - 7 (नया रारा - 30 एवं 34) के 481.345 किमी/डिज़ाइन चेनेज (विद्यमान 481.400 किमी) पर	1.89*	18.90	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	0.51* *	5.10	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

* 4 लेन संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	466.050 डिज़ाइन किमी	466.470 डिज़ाइन किमी	फ्लाइओवर	0.420
2	471.060 डिज़ाइन किमी	471.907 डिज़ाइन किमी	बड़ा पुल	0.847
3	493.440 डिज़ाइन किमी	493.5618 डिज़ाइन किमी	आरओवी	0.1218
4	533.530 डिज़ाइन किमी	534.0305 डिज़ाइन किमी	बड़ा पुल	0.5005
कुल				1.890

** 2 लेन संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	डिज़ाइन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	475.002 डिज़ाइन किमी	475.512 डिज़ाइन किमी	2 लेन वायडकट	0.510
कुल				0.510

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2019-20** के लिए मासिक पास की दर **265.00/-** रुपए (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, झूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस **परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 955.283 करोड़ रुपए है**। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/19-20/जीसी/जबलपुर-लखनदोन सेक्शन]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2019

S.O. 4456(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910(E) dated 21st April, 2010 issued under Section 11 of the National India Act, 1988 (168 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from design Chainage 465.600 Km to 546.600 Km (existing chainage 465.600 Km to 546.420 Km) of Jabalpur-Lakhnadon section of National Highway No. 7 (New NH-30 & 34) in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 60% of rate specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.100 km (having length structure 0.510 km) for the use of two lane with paved shoulders and at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 67.181 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 18.900 km (having length structure 1.890 km) and at 150 % of the base rate for bypasses having length of 11.240 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Four lane or more of Jabalpur-Lakhnadon section from design Chainage 465.600 Km to 546.600 Km (existing chainage 465.600 Km to 546.420 Km) of National Highway number 7 (New NH-30 & 34) in the State of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE -1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

TABLE -2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. design 481.345 Km (existing 481.400 Km) NH-7 (New NH-30 & 34) near village Boharipar in Jabalpur district of State Madhya Pradesh	67.1807 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Tabte-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

TABLE -3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km/Ch. design 481.345 Km (existing 481.400 Km) NH-7 (New NH-30 & 34) near village Boharipar in Jabalpur district of State Madhya Pradesh	Bargi Bypass	Design 487.100 Km (existing 487.150 Km)	Design 489.700 Km (existing 489.780 Km)	2.60	30.23	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Sukari Bypass	Design 497.450 Km (existing 497.850 Km)	Design 498.670 Km (existing 498.940 Km)	1.22	10.60	
	Dhuma Bypass	Design 520.520 Km (existing 520.710 Km)	Design 524.290 Km (existing 524.120 Km)	3.77	20.65	
	Lakhnadon Bypas	Design 541.900 Km (existing 542.050 Km)	Design 545.550 Km (existing 545.740 Km)	3.65	35.64	
	Total Length			11.24 Km	97.12 Cr	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

TABLE -4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. design 481.345 Km (existing 481.400 Km) NH-7 (New NH-30 & 34) near village Boharipar in Jabalpur district of State Madhya Pradesh	1.89*	18.90	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.51**	5.10	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of 4-lane structure is as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	Design Km 466.050	Design Km 466.470	Fly Over	0.420
2	Design Km 471.060	Design Km 471.907	Major Bridge Across	0.847

3	Design Km 493.440	Design Km 493.5618	ROB	0.1218
4	Design Km 533.530	Design Km 534.0305	Major Bridge Across	0.5005
Total				1.890

**The details of 2-lane structure is as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	Design Km 475.002	Design Km 475.512	2-Lane Viaduct	0.510
Total				0.510

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 265 (Two hundred And Sixty Five Only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

TABLE-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 955.283 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F.No. NHAI/13013/CO/19-20/GC/Jabalpur-Lakhnadon Section]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.